कार्यालय नगर पंचायत अमेठी जनपद अमेठी

पत्रांक 56 /न0प0अमेठी/2025 दिनांक 29.04.2025

ई निविदा सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **सीवरेज एवं जल निकासी योजना** के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निम्न कार्यों को कराये जाने हेतु दिनांक 16.05.2025 तक ई निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्रों को ई प्रोक्योरमेण्ट की वेवसाईट etender.up.nic.in पर, निर्धारित निविदा मूल्य RTGS/NEFT/CASH एवं जमानत धनराशि हेतु 10 प्रतिशत की एफ0डी0/बचत पत्र/नगद के माध्यम से नगर पंचायत अमेठी जनप अमेठी के A/C No - 32282606760(SBI AMETHI, IFSC Code: SBIN0001158) पर भुगतान कर दिनांक 30.04.2025 से दिनांक 15.05. 2025 की 16.00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 16.05.2025 को 10.00 AM कार्यालय उपरोक्त में, उपस्थित ठेकेदारों/फर्मों के प्रोपराईटर के समक्ष खोला जायेगा। किन्ही कारणवश, उक्त तिथि में, अवकाश होने पर अगला कार्यदिवस में देखी जा सकती है। उक्त निविदा से सम्बन्धित कार्यों की सूची एवं नियम,शर्तें निकाय की वेवसाईट npamethi.in पर देखी जा सकती है। कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	कार्य का नाम	धनराशि (रुपया लाख में)			निविदा मूल्य
		आगणन	जी0एस0टी0	कुल योग	
01	वार्ड नं09 में सजनलाल के मकान से कोतवाली पार्क होते हुए गॉधी तिराहा तक नाला निर्माण कार्य।	28.39	5.11	33.50	3350.00
02	वार्ड नं 06 में अमेठी धम्मौर रोड के पूरब तरफ प्रकाश काम्पलेक्स से राम सिंह के घर तक नाला निर्माण कार्य।	25.58	4.60	30.18	3018.00
03	गॉधी चौक जामा मस्जिद से अम्बेडकर तिराहा होते हुए अमेठी धम्मौर रोड पर बाईपास तक नाला निर्माण कार्य।	84.62	15.22	99.85	9985.00
04	वार्ड नं 09 में सार्वजनिक शौचालय से डाक घर होते हुए नवदुर्गा प्रतिष्ठान तक नाला निर्माण कार्य।	48.65	8.76	57.41	5741.00

1. किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना हेतु ई–प्रोक्योरमेण्ट की वेवसाईट etender.up.nic.in पर corrigendum अपलोड कर दिया जायेगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का प्रकाशन समाचार पत्र में नही करवाया जायेगा।
2. कार्य सम्बन्धित जानकारी कार्यालय नगर पचांयत अमेठी जनपद अमेठी से प्राप्त की जा सकती है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अमेठी
जनपद अमेठी

अध्यक्ष
नगर पंचायत अमेठी
जनपद अमेठी

प्रतिलिपिः

विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र दैनिक यूनाटेड भारत/राष्ट्रीय सहारा (द्वारा स्थानीय सवांददाता) को आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन न्यूनतम शासकीय दरों में आगामी अंक में कराते हुए बिल समाचार की तीन प्रतियों में कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

29/04/25

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अमेठी
जनपद अमेठी

कार्यालय नगर पंचायत अमेठी जनपद अमेठी

पत्रांक 56–1/न0प0अमेठी/2025 दिनांक 29.04.2025

नोटः–

1. सशर्त निविदांए मान्य नही होगी और स्वतः ही निरस्त समक्षी जायेगी।
2. नगर पंचायत अमेठी जनपद अमेठी को बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में सुरक्षित होगा।
3. निविदा प्रपत्र मूल्य नगर पंचायत अमेठी जनपद अमेठी के उपरोक्त खाता संख्या में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराकर, उक्त की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त प्रपत्र न होने की स्थिति में ठेकेदार/फर्म की निविदा को अवैध माना जायेगा।
4. प्रत्येक निविदा के साथ दस प्रतिशत धरोहर राशि की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 कॉलम संख्या 4 में अंकित विवरण के अनुसार, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अमेठी के पदनाम से बंधक हो, की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त प्रपत्र न होने की स्थिति में ठेकेदार/फर्म की निविदा को अवैध माना जायेगा।
5. शासनादेश सं0–3070/78–2–2018–42आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 02.01.2018 के अनुपालन में निविदा शुल्क तथा धरोहर(EMD) की प्राप्ति हेतु ऑन लाइन होने तक निविदादाताओं द्वारा ई–टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि(EMD) सम्बन्धी डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आडर्स की स्कैन प्रति अथवा प्रतिभूति प्रमाण–पत्र विभाग के पक्ष में बन्धक कराने पर, प्राप्त ट्रांजेक्शन नम्बर को, निविदा के समय अपलोड किया जायेगा तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने अर्थात निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से विभाग/कार्यालय को प्रस्तुत किये जायेगें। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त, निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख एवं धरोहर धनराशि(EMD) सम्बन्धी डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आडर्स/प्रतिभूति प्रमाण–पत्र मूल रूप से प्रस्तुत नही किये जाने पर, निविदादाता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
6. निविदा खोले जाने के समय निविदादाता की उपस्थिति वांछनीय हैं।
7. ठेकेदार संस्था/फर्म द्वारा लगाये गये सभी श्रमिकों में से किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाने की दशा में नगर पंचायत का कोई दायित्व नही होगा। समस्त दायित्व ठेकेदार संस्था/फर्म में होंगें, जिसे उसे स्वंय वहन करना होगा।
8. भविष्य में किसी भी समय कार्य की गुणवत्ता ठीक न होने अथवा अनियमितता की स्थिति में कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु ठेकेदार/फर्म को काली सूची में डालने और कार्य की गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त होने पर बान्ड निरस्त करने तथा धरोहर राशि जब्त करने का सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
9. उक्त कार्य की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त होने के पश्चात ठेकेदार संस्था/फर्म को निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराना होगा, जिसमें समस्त प्रकार के खर्चे का उत्तरदायित्व टेकेदार संस्था/फर्म का होगा।
10. अपठनीय/अस्पष्ट स्कैन कॉपी टेण्डर के साथ अपलोड होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
11. निविदा विवरण उपरोक्त प्रारूप में उल्लेखित कार्यो का अलग–अलग विवरण, उनकी आगणन लागत, निविदा की धरोहर राशि निविदा मूल्य तथा समय अवधि का विवरण, उपरोक्त वेबसाईड पर देखा जा सकता है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अमेठी
जनपद–अमेठी

अध्यक्ष
नगर पंचायत अमेठी।
जनपद अमेठी

12. ठेकेदार/फर्म का जी0एस0टी0 में पंजीकरण अनिवार्य है तथा जी0एस0टी0 के अन्तर्गत आने वाली समस्त कटौतियां, जी0एस0टी0 के शासनादेश के अनुसार ठेकेदार/फर्म के बिल से की जायेगी।

13. निविदा से संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायिक क्षेत्र अमेठी होगा।

14. शासनादेश संख्या–609/नौ–9–2007–249ज./06/दिनांक 26.02.2007 के अनुपालन में प्रत्येक निविदा पत्र के साथ 100/– रूपयें के स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

15. श्रमिकों के हितों से सम्बन्धित सभी शासनादेशों का निविदादाता द्वारा अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

16. शासनादेश संख्या–24वीआईपी(1)/नौ–5–2017–120बजट/2013, नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 24 अगस्त 2017 के अनुपालन में निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 5 वर्ष तक अनुरक्षण/रख–रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म की होगी। निर्माण कार्य की गुणवत्ता आदि के कारण कोई टूट–फूट आदि होती है, तो उसकी मरम्मत कराने का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार/फर्म का होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा। परियोजना लागत की 10 प्रतिशत धनराशि परफॉरमेन्स गारण्टी के रूप में 5 वर्ष रोकने के उपरान्त, सड़क के समुचित रख–रखाव होने की दशा में ठेकेदार/फर्म को भुगतान की जायेगी।

21/04/25

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अमेठी
जनपद अमेठी

अध्यक्ष
नगर पंचायत अमेठी
जनपद अमेठी